संख्या-114/2022/I/212004/2022/71-2099-263-2021

प्रेषक,

अशोक कुमार ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
2- निदेशक, ह्रदय रोग संस्थान कानपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 12 सितंबर, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य् रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, ह्रदय रोग संस्थान कानपुर के पत्र संख्या-हरोस/2022-23/3441 दिनांक 29.08.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ह्रदय रोग संस्थान, कानपुर में मरीजों के नि:शुल्क उपचार हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्र्तगत असाध्य रोगों के नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 1500.00 लाख (रूपए पंद्रह करोड़ मात्र) अवमुक्त करते हुए निदेशक संस्थान के निवर्तन पर अधोलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्टल आफिस में नहीं रखा जाएगा।
3. निदेशक संस्थान का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त/ व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे। उक्त के अतिरिक्त किसी एक वित्तीय वर्ष के देयक अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।
4. उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु नियमावली 2013 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त मद में अगली किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
5. वित्तीय वर्ष 2022-2023 में वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13-2022 /बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के निदेशक/वित्त नियंत्रक का होगा।

6. धनराशि को कोषागार से सम्बन्धित संस्थान के वित्त/अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,00,00,000 (रुपये पंद्रह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050368 आसाध्य रोगो के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-232/दस-2022-23, दिनांक- 09-09-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव

संख्या-114/2022 /1/212004/2022/71-2099-263-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. संबंधित कोषाधिकारी, कानपुर।
6. संबंधित संस्थान के वित्त अधिकारी/वित् नियंत्रक।
7. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।